न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1214–पीबीआर/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–4–2007 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण कमांक 172/निगरानी/05–06.

.....

गीता इस्टेट प्रा0लि0कंपनी,
25, पलासिया मेनरोड इंदौर
द्वारा विधि अधिकारी,
हंसराज पिता बी0एल0 जोशी,
निवासी पलासिया मेन रोड इंदौर

..... आवेदक

विरूद्ध

ब्रिलियण्ट प्रा0लि0कंपनी
सात–बी मंजिल चेतक सेंटर,
12/2 आर0एन0टी0मार्ग इंदौर
द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर,
संजय पिता मदनलाल चौधरी
निवासी साकेत नगर इंदौर

..... अनावेदक

.....

श्री विकांत होल्कर, अभिभाषक–आवेदक
एकपक्षीय–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 2/3/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–4–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक गीता इस्टेट प्रा0 लि0 कंपनी द्वारा तहसीलदार इंदौर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बिचौली–हप्सी पटवारी हल्का नम्बर 25 तहसील व जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 456/1 रकबा 3.04 हेक्टेयर उसके भूमिस्वामी स्वत्व की

भूमि है । उक्त भूमि पर जाने हेतु मार्ग पश्चिम की ओर मुडकर अनावेदक की भूमि सर्वे कमांक 457 से होता हुआ आवेदक की भूमि पर जाता है । आवेदक द्वारा अपनी भूमि पर आने जाने हेतु एकमात्र मार्ग पर तार फेंसिंग कर लोहे का दरवाजा लगाया गया था । अनावेदक द्वारा उक्त दरवाजे को तारफेंसिंग कर बंद किया जाकर आवेदक का मार्ग अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः उक्त रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–13/05–06 दर्ज कर दिनांक 21–6–06 एवं 24–6–06 को आदेश पारित कर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 16–6–2007 को आदेश पारित कर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–6–2006 एवं 24–6–2006 निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वे सर्वप्रथम उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अभिलेखों की प्राप्ति सुनिश्चित करें तथा नियमानुसार पुनः स्थल निरीक्षण कर अंतरिम आदेश पारित करें, तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये विधिनुसार प्रकरण का निराकरण किया जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा जो फोटाग्राफ प्रस्तुत किये गये हैं, उससे यह तथ्य निर्विवादित है कि आवेदक के रास्ते पर लोहे का दरवाजा लगा हुआ है जिसे अनावेदक द्वारा तारफेंसिंग करके बन्द कर दिया गया है । आवेदक द्वारा मौके पर अन्य मार्ग खोले जाने हेतु कोई सहमति नहीं दी गई है और न ही राजस्व निरीक्षक व पटवारी को न्यायालयीन आदेश के उल्लघंन में अन्य मार्ग खोले जाने का अधिकार प्राप्त है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 21–6–06 को रास्ता खोले जाने का आदेश पारित करते हुये प्रतिवेदन चाहा गया था, और दिनांक 24–6–06 को बिना प्रतिवेदन देखे बार लाईन का आदेश पारित कर प्रकरण समाप्त कर दिया गया जो वैधानिक कार्यवाही नहीं है ।

(2) तहसीलदार के समक्ष यदि उभयपक्ष द्वारा अन्य स्थान से रास्ता खोले जाने संबंधी समझौता पेश किया जाता तब अन्य रास्ता खोला जा सकता था, परन्तु तहसीलदार द्वारा पटवारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एकाएक प्रकरण समाप्त कर दिया गया है ।

(3) अपर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं होकर संहिता की धारा 56 के अन्तर्गत आदेश की परिधि में नहीं आता है ।

(4) उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा नये सिरे से स्थल निरीक्षण कर प्रकरण का निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित करने में गम्भीर वैधानिक भूल की गई है ।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर मूल आवेदन पत्र पर गुणदोष के आधार पर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया । तर्क के समर्थन में 1998 आरएन 168 एवं 1989 आरएन 148 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रकरण में अनावेदक की ओर सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में निकाला गया यह निष्कर्ष अपने स्थान पर वैधानिक एवं उचित है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन रास्ते के संबंध में दिनांक 21–06–06 को पारित अंतरिम आदेश उचित था, अतः राजस्व निरीक्षक को उसी का पालन करना था, परन्तु राजस्व निरीक्षक ने तहसीलदार के आदेश के विपरीत अन्य रास्ते को खुलवाने में अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की है, क्योंकि राजस्व निरीक्षक को तहसीलदार के आदेश के विपरीत रास्ता खुलवाये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और न ही उभयपक्ष की सहमति से अन्य रास्ता देने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा आगे विवेचना करते हुये गुणदोष पर जो निष्कर्ष निकाले है वह अनुचित होकर अवैधानिक हैं, क्योंकि तहसील न्यायालय को अभी प्रकरण का गुणदोष पर अंतिम निराकरण करना है, जबकि अपर आयुक्त द्वारा जो निष्कर्ष

निकाले गये है, वे प्रकरण के अंतिम निराकरण से संबंधित है, और इन निष्कर्षो से तहसीलदार द्वारा प्रकरण के अंतिम निराकरण में कठिनाई होगी। अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश के संबंध में निकाले गये निष्कर्ष ही तहसीलदार पर बन्धनकारी होंगे और गुणदोष पर अन्य निकाले गये निष्कर्ष तहसीलदार पर बन्धनकारी नहीं होंगे । इसी प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–6–2006 ही मान्य होगा, आगे की गई कार्यवाही अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–6–06 स्थिर रखा जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अंतिम निराकरण करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर